

Prof. M. Ram
Assistant professor
R.G. R. College
Maharajganj (Bihar)

T.D.C. Part II Economics (Hons.)
Paper IV Public Finance
Module 2 Public Expenditure
लोक व्यय

Topic - सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त या निम्न (Canon of public expenditure)
(Principle of public expenditure)

सार्वजनिक आय को ही प्रकार से व्यय करते हेतु सरकार को कुछ सिद्धान्तों का पालन अवश्य करना चाहिये क्योंकि सुनियोजित और नियंत्रित सार्वजनिक व्यय दीर्घकालिक वित्त की अपेक्षा देता है। फिन्ले गिराज (Finley Shiraz) ने सार्वजनिक व्यय के चार सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार हैं।

(1) लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit) :- इस सिद्धान्त का आदर्श है अधिकतम समाजिक लाभ की प्राप्ति अर्थात् सरकारी खर्च की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिये ताकि इससे समाज के कई विघोषों के लिए नतीजों के सम्पूर्ण रूप में समस्त समाज के लिए अधिकतम लाभ तथा समाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। फिन्ले गिराज ने लिखा "यदि अन्य बातें समान रहे तो यह आवश्यक है कि सरकारी खर्च अपने साथ कई सामाजिक उपलब्धियाँ लाए, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि, बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक अस्थिरता से सम्पूर्ण समाज की सुरक्षा और जहाँ तक भी सम्भव हो सके आय की असमानताओं में कमी।" संक्षेप में कहा जा सकता कि सरकारी धन इन मदों में खर्च किया जाना चाहिये जो कि जनहित की दृष्टिकोण से सर्वोच्च अनुकूल है। अन्य शब्दों में सरकारी धन को इस प्रकार खर्च करें तथा विभिन्न उपयोगों के बीच साधनों का इस प्रकार बँटवारा करें ताकि सभी उपयोगों से प्राप्त होनेवाला सीमान्त मुद्दिगुण बराबर हो। लेकिन ऐसा तभी सम्भव है जब लोक वित्त के क्षेत्र में सम सीमान्त मुद्दिगुण नियम अथवा अधिकतम संतुष्टि का नियम लागू किया जाय। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण निकोलस ने इन शब्दों में किया है "उपयोजितावादी सिद्धान्त के आधार पर सार्वजनिक व्यय का आदर्श तभी प्राप्त हो सकता है जबकि प्रत्येक मद में सार्वजनिक व्यय की सीमान्त उपयोजिता बराबर हो। इसमें संदेह नहीं है कि यह आदर्श अप्राप्य है लेकिन अविवारणीय इसका अर्थ यह है कि लोक सत्ताओं को अपने साधनों का वैतदा उपयुक्त रीति से कलनी चाहिये।"

(2) सम्पूर्ण रूप में देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हो।

(3) बाह्य तथा आन्तरिक खतरों से समाज की रक्षा करने के लिए प्रयोजन सेना

तथा हितवादी समाजों के बीच जा सकें।
(1) नागरिकों के बीच आय की असमानताओं को कम किया जा सके।
(2) किसी एक की कमी के लिए सम्पूर्ण समाज के ही कल्याण को अतिक्रमण दिया जा सके।

(2) मित्रभाषिता का सिद्धान्त (Doctrine of Economy) :- मित्रभाषिता का सिद्धान्त, लागू के सिद्धान्त का ही परिवर्तित और पूरक रूप है जिसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा जो कुछ व्यय किया जाय उसका सदुपयोग होना चाहिए; दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मित्रभाषिता के सिद्धान्त के अनुसार सरकार को सार्वजनिक मदों पर ही धन खर्च करना चाहिए, किसी भी मद पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, सरकार को व्यय के अग्रिम परीक्षाओं और प्रभावों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा उसके व्यय में अनियोजित अथवा लापरवाही नाम मात्र की भी नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार इस सिद्धान्त के अनुसार व्यय करेगी तो इसके फलस्वरूप देश में उत्पादन शक्ति का विकास होगा तथा नागरिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस सिद्धान्त में मित्राज ने इसके एक दूसरे पहलु पर जोर दिया है। और वह यह है कि "मित्रभाषिता का अर्थ है सरकार के हितों की रक्षा करना केवल खर्च की अप्रत्यक्ष समस्या को प्रभावित करके ही नहीं बल्कि सरकारी आय को बढ़ाने की दृष्टिकोण से भी" स्पष्टः इसका अर्थ यही है कि सरकार अपना व्यय इस प्रकार करे कि उसमें सरकार की आय के विस्तार में मदद मिले। वस्तुतः यह भी इस सिद्धान्त का बड़ा महत्वपूर्ण पहलु है कि सरकार जब अपने खर्च की-रूपरेखा बनाए तो उसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए।

(3) स्वीकृति का सिद्धान्त (Doctrine of Sanction) :- स्वीकृति के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि सरकार को व्यय करने के पहले किसी उच्च सत्ता की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा प्रत्येक मद पर उतनी ही राशि व्यय की जाए और उसी ढंग से व्यय की जाए जितनी राशि व्यय करने की अपेक्षा जिस ढंग से व्यय करने की स्वीकृति उच्च सत्ता से प्रदान की गयी है। इसके अलावा सरकारी व्यय स्वीकृति के अनुसार हो रहा है या नहीं इस बात की जांच करने हेतु एक प्रत्यक्ष विभाग की स्थापना भी होनी चाहिए। प्रोफेसर के मैकलार के अनुसार स्वीकृति का सिद्धान्त सार्वजनिक व्यय की अपव्ययिता के अतिरिक्त बड़ा नियंत्रण है तथा यह सिद्धान्त वित्तीय नियंत्रण एवं नियंत्रण का समर्थक है। प्रोफेसर का यह सिद्धान्त सरकारी खर्च की नीति निर्धारित करने के

एक (1)
लिए उपरान्त कार्य पद्धति प्रस्तुत करना है तथा सरकारी खर्च के प्रशासन में कुछ निहित स्वरूपों के अन्तर्गत मजदूरी पर रोक लगाता है।

वैश्वीय बाजार में स्वीकृति के इस सिद्धांत का काफी विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए औद्योगिक देशों में स्वयं सरकार को खर्च करने से पहले संसद या विधानमण्डल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग को फिर मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह विभाग के अन्तर्गत विभागों की अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि अनुमति लेने की इस व्यापक व्यवस्था के कारण कभी कभी कार्य अल्पकाल से स्थगित होता है और प्रशासन में लाजलीसता की जन्म ले लेती है। परन्तु इसका इसलिये सहन करना होता है ताकि खर्च के प्रशासन में इमानदारी और निरन्तरता बनी रहे और अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को रोक जा सके।

(4) **व्यय या बजट का सिद्धांत (Law of Expenditure)** :- इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को अपना व्यय आय से कम रखना चाहिए तथा होनार्थ प्रबंधन की नीति को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यय के सिद्धांत के अनुसार यदि सरकार व्यय का बजट नहीं घटाएगी तो जनता पर ऋण का भार बढ़ता चला जाएगा जिसके फलस्वरूप सरकार की लाख देश और विदेश में जिए जायेगी। आज कल यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि साधारण काल में सरकार को संतुलित बजट बनाना चाहिए तथा संकट के समय तथा युद्ध, आर्थिक मंदी आदि में वह घाटे का बजट भी बना सकती है। फिरोज़ शिराज निजामी (Feroz Shirazi) के शब्दों में "सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी आय की प्राप्ति और इसका व्यय सामान्य नागरिकों की तरह करना चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान सरकार को भी संतुलित बजट की सामान्य नीति अपनानी चाहिए।"

किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री सदैव संतुलित बजट को अच्छा नहीं समझते। वस्तुतः बजट घेरा बनाया जाए यह बात देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है। मुद्रास्फीति की दशा में बजट का बजट (Deficit Budget) को अच्छा माना जाता है क्योंकि यह लोगों की क्रय शक्ति को कम कर देता है जिससे कुछ सामर्थ्य मांग की मजदूरी कम हो जाती है। और सरकार यह चालू मांग और चालू उत्पादन में संतुलन कायम रखने में सक्षम होता है। इसके विपरीत मंदी के दिनों में घाटे का बजट (Deficit Budget) को

Page No. _____

को वांछनीय माना जाता है और यह इसलिए क्योंकि यह लोक-
कल्याण में हृष्टि करके कुल समर्थ मोंग में हृष्टि कर देता है और
प्रकार चातू मोंग तथा चातू उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित कर देता है।

लोक व्यय के अन्य सिद्धान्त (Other canons of Public Expenditure)

फिजल गिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्तों के
अतिरिक्त दूसरे अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय से संबंधित निम्नादि
चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

(1) **लोच का सिद्धान्त** :- लोच के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि सार्व-
जनिक ढांचे का निर्माण इस ढंग से करना चाहिए की उसमें आवश्यकतामूलक
विस्तार या संकुचन किया जा सके। युद्ध और संकटकाल के समय अपना
अर्थव्यवस्था को अवसाद से उबारने के लिए सरकार को अपना व्यय
बढ़ाना पड़ता है; जबकि स्थितिकाल में सरकार को अपना व्यय कम करने
की आवश्यकता होती है। अतएव इस दृष्टि से सार्वजनिक व्यय को लोच-
पूर्ण होना आवश्यक है। प्रायः सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना तो सरल होता
है परन्तु सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार को नवीन साधन
खोजने पड़ते हैं और चूंकि सार्वजनिक आय की हृष्टि की एक सीमा होती
है, इसलिए सार्वजनिक व्यय भी एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा
सकता है।

(2) **उत्पादकता का सिद्धान्त (Cannon of productivity)** :- उत्पादकता
के सिद्धान्त का आशय यह है कि सरकार द्वारा जो व्यय किया जाय, उससे
देश की उत्पादन शक्ति या उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष और
परोक्ष रूप में हृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार जब सार्वजनिक व्यय देश में
बेरोजगारी को दूर करने, पूंजी निर्माण को बढ़ावे, उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन
को बढ़ावे तथा सामाजिक हितों को अग्रसर करने में सहायक होता उस
उत्पादक व्यय कहा जाएगा। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक
सेवाओं पर किया गया व्यय भी उत्पादक कहा जाएगा क्योंकि उससे
अन्तः नागरिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में उन्नति होती है।
किंतु अतन्त्र तक प्रतिरक्षा व्यय को अनुत्पादक व्यय की श्रेणी में रखा जाता
था परन्तु आजकल सर्वमान्य धारणा यह है कि प्रतिरक्षा व्यय भी परोक्ष
रूप से उत्पादक ही होता है। क्योंकि शान्ति और सुरक्षा की दशा में ही
देश के आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास संभव हो सकता है।

(3) **समान वितरण का सिद्धान्त (Cannon of Equitable distribution)** :-
यह सिद्धान्त बताता है कि सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि इससे
समाज में व्याप्त आय और संपत्ति के वितरण की विषमता न्यूनतम हो
सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक ओर धनी को

पर प्रगतिशील दर से करारोपण किया जाये तथा उस प्रकार जो आय प्राप्त हो उसे निर्धन वर्ग के शिक्षार्थि निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, अपास व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, वारिवास्त्रिक भत्ता आदि के रूप में व्यय किया जाये।

(4) सामंजस्य का सिद्धांत (Concept of coordination) :- संघात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत संघीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाएँ अलग अलग तौर पर व्यय करती हैं। इन विभिन्न इकाइयों के व्यय में सामंजस्य स्थापित होना बहुत आवश्यक है; ताकि व्यय की पुनरावृत्ति न हो सके।

मिलकर के रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी देश की सरकार अपनी आय को व्यय करने समय उक्त नियमों का पालन करती है तो सार्वजनिक व्यय के द्वारा अधिकतम सामाजिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि ब्यूहलर (Buehler) ने लिखा है "यद्यपि यह सिद्धान्त अधिक प्रमाणित नहीं है क्योंकि करारोपण के सिद्धान्त की तरह व्यय के सिद्धान्त का विकास नहीं हुआ है। तथापि कुछ स्पष्ट और कुछ मौलिक सिद्धान्तों का विवेचन किया जा सकता है जो द्वारा हमारे सदस्यों और जनसाधारण का उस समय तक पक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं जबकि अच्छे प्रमाणों का विकास न किया जाय।

— शेष —

N. Ram